योजना (पी0 आई0) एफ (11) 3/2018-19
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषकः

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश शिमला-171002

प्रेषितः

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार,
   शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला-171002 16th जनवरी, 2019

विषयः- **वर्ष 2018-19 के प्रकियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 07/01/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।**

महोदया/महोदय,

आपको वर्ष 2018-19 के प्रकियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2019 को प्रातः 10:30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही संलग्न की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिये गए निर्णयानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2018-19 के प्रकियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन की नवीनत्तम प्रगति सूचना योजना विभाग को प्रशासनिक सचिव के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कृपा करें। यह पत्र और उपरोक्त बैठक की कार्यवाही योजना विभाग की वैबसाईटः hpplanning.nic.in पर भी उपलब्ध है।

बैठक की कार्यवाही मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदनोपरान्त जारी की जा रही है।

भवदीय,

रविन्द्र 16.01.2019.
(रविन्द्र कुमार)
उप-निदेशक(योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
दूरभाषः 2620656

...2

पृ0संख्याः योजना(पी0आई0)एफ(11)3/2018-19 दिनांक शिमला-216th जनवरी, 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

16.01.2019

उप-निदेशक(योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
दूरभाषः 2620656

वर्ष 2018–19 के प्रकियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 07/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूचि **अनुबन्ध–क** पर सलंग्न है।

अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने बैठक का संचालन करते हुए सूचित किया कि वर्ष 2018–19 के बजट आश्वासनों में कुल 125 मुख्य पैरे और 249 सब पैरे थे जिसमें से 71 मुख्य पैरे तथा 162 सब पैरे कार्यान्वित हो चुके हैं। 54 मुख्य पैरे तथा 87 सब–पैरे प्रकियाधीन है। अध्यक्ष महोदय की समस्त विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नानुसार प्रकियाधीन बजट आश्वासन कार्यान्वयन स्तर पर पाए गए:–

1. **पैरा सं0–14, 55, 57 (ग्रामीण विकास)**

पैरा सं0:–14 (3) हर जिले के दूर–दराज क्षेत्रों में जन मंच का सफल आयोजन किया जा रहा है।

पैरा सं0:–55 (2) मनरेगा में बेहतर पानी निकासी के लिए सड़क के साथ नालियों व मकानों के साथ छोटे पिट का निर्माण हेतु सभी कार्यान्वयन संस्थाओं को निर्देश दे दिये गए है।

पैरा सं0:–57 स्वयं सहायता समूहों को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके Revolving Fund को 40,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

2. **पैरा सं0:–16, 107, 110, 111, 113 (लोक निर्माण)**

पैरा सं0:–16 **शीघ्र ही** दोनों विभागों में WMIS लागू कर दिया जाएगा।

पैरा सं0:–107 58 DPRs हेतु Consultant नियुक्त किये जा चुके है।

पैरा सं0:–110 (1) सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया है। (2) मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधीन एक स्वतन्त्र गुणवत्ता परीक्षण स्क्वैड (Independent Quality Check Squad) का गठन कर दिया गया है। (3) सड़कों की टारिंग का लक्ष्य 1785 किलोमीटर से बढ़ाकर 2,500 किलोमीटर किया गया है। (5) OPBMC(Output and Performance Based Maintenance contract) नामक पायलट परियोजना के अन्तर्गत 350 किलोमीटर के अतिरिक्त मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

पैरा सं0:–111 रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं को आमन्त्रित किया जाना शेष है।

पैरा सं0:–113 (1) तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रमुख पुलों की सुरक्षा का लेखा परीक्षण के लिये चयन प्रकिया चालू है। (2) **मुख्यमन्त्री सड़क योजना** के अन्तर्गत गाँवों/बस्तियों को शीघ्रता से सड़क से जोड़ने के लिये विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।

3. **पैरा सं0:–75, 76, (राजस्व)**

पैरा सं0:–75 (1) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए "National Generic Document Registration System" प्रकिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जाएगी। (2) "सरकारी भूमि" मॉड्यूल को शुरु कर दिया जाएगा।

पैरा सं0:–76 सूखे की स्थिति में प्रदेश आपदा प्रबन्धन निधि से पेयजल, चारा तथा किसानों के लिए खरीद उपदान प्रदान किया जा रहा है।

4. **पैरा सं0– 18, 19 (सूचना प्रौद्योगिकी)**

पैरा सं0–18 (1) सभी ग्राम पंचायतों को, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारत नेट फेज–2 के अन्तर्गत तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।

पैरा सं0–19 (1) सभी विभागों द्वारा 5 लाख से ज्यादा सरकारी खरीद प्रकिया की निविदाओं को e-procurement Portal के माध्यम से जारी करना एवं

Government e-Market (GeM) पर उपलब्ध वस्तुएं वहीं से क्रय की जा रही है। (2) कॉंगड़ा जिले में आई0टी0 पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. **पैरा सं0– 25, 37 (उद्यान)**

पैरा सं0–25 (1) 2600 सेब के बगीचों में कौलौनल रूट स्टॉक पर उच्च पैदावार किस्मों का कल्मीकरण बारे अवगत करवाया गया कि वर्ष 2018–19 में 2000 बगीचों हेतु पौधों का वितरण किया गया है। (2) उष्ण कटिबंधीय फल जैसे आम, लीची, अमरूद एवं नींबू प्रजाति के फलों के बगीचों को 400 हैक्टेयर में समूह के आधार पर लगाए जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि वर्ष 2018–19 में 32 है0 क्षेत्रफल में पौधों की उपलब्धता एवं मांग के अनुसार बागीचे लगाए गए हैं। (7) सभी समूहों में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। (8) CA शीतभण्डारण केन्द्र, ग्रेडिंग तथा पैकिंग घरों के निर्माण तथा मार्केट यार्डों के विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

पैरा सं0–37 (1) CA शीतभण्डारण केन्द्र, ग्रेडिंग तथा पैकिंग घरों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। (3,4,5,6) भारत सरकार की "प्रधानमन्त्री कृषि सम्पदा योजना" के अन्तर्गत एकीकृत शीत भण्डारण, खाद्यान्न प्रसंस्करण (Processing) तथा संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने, कृषि प्रसंस्करण (Processing) समूह की अधोसंरचना के विकास, भारत सरकार से इस योजना में सहायता लेने वाली विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित करने तथा खाद्यान्न विधायन से जुड़े उद्योगों को Potato Chips का उद्योग कॉंगड़ा व कुल्लू जिले में स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।

6. **पैरा सं0– 27, 50 (कृषि)**

पैरा सं0–27 वर्ष 2018–19 **में** 30 करोड़ के प्रावधान सहित नई "सौर सिंचाई योजना" को प्रारम्भ कर दिया गया है।

पैरा सं0–50 उपदान वाली समान योजनाओं में सहायता ढांचे तथा आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु कृषि एवं उद्यान विभागों की संयुक्त समिति का गठन कर दिया गया है।

7. **पैरा सं0– 51 (मत्स्यपालन)**

पैरा सं0–51 (1,2) 100 ट्राउट रेसवेज़ में 5 लाख ट्राउट बीज का भण्डारण तथा प्रदेश में 11 नई ट्राउट हैचरियों तथा 100 ट्राउट इकाईयों की स्थापना कर दी गई है। (3) मछुआरों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करवाने के लिये समुचित मत्स्य संस्थान कोच्चि का सहयोग प्राप्त करके आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। (4) मछुआरों को उचित दाम पर Fish Feed की उपलब्धता हेतु Fish Feed इकाई की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु भूमि क्रय हेतु स्टैम्प डयूटी 3 प्रतिशत तथा यन्त्र एवं मशीनों पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है।

8. **पैरा सं0– 52 (पशुपालन)**

पैरा सं0–52 (1) हिमाचल प्रदेश में "गौ–सेवा आयोग" का गठन कर दिया गया है।

9. **पैरा सं0– 63 (वन)**

पैरा सं0–63 (1,2) राज्य CAMPA की निधि से अगले 3 वर्षों में 22 वन विहार/इको पार्क की स्थापना तथा प्रदेश में इको –पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 25 नए इको पर्यटन स्थान आवंटित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।

10. **पैरा सं0– 77 (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य)**

पैरा सं0–77 (1,2) चयनित शहरों में पायलट आधार पर 24X7 जल की उपलब्धता तथा चालू 3,448 पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए चरणबद्ध रूप से ऑटोमेशन प्रक्रिया प्रगति पर है।

11. **पैरा सं0– 80, 81, 84, 85, 97 (उद्योग/ लोक निर्माण)**

पैरा सं0–80 (1) पट्टे पर भूमि नियमों के सरलीकरण एवं मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है। (3)

अन्नापत्ति प्रमाणपत्रों की आवश्यकताओं को कम करने तथा तय समय सीमा में न दिए जाने की स्थिति में डीम्ड् अनुमति मानने का प्रावधान कर दिया गया है।

पैरा सं0–81 प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारित की गई है।

पैरा सं0–84 (3) बरोटीवाला–मंधाला–परवाणु तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है।

पैरा सं0–85 सभी खनन् स्थानों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं द्वारा आबंटित किया जा रहा है।

पैरा सं0–97 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यम विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

12. **पैरा सं0– 92 (पर्यटन)**

पैरा सं0–92 (3) उड़ान–2 योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त हेलीपैडों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13. **पैरा सं0– 98, 99, 102 (श्रम एवं रोजगार/ कौशल विकास)**

पैरा सं0–98 (2,3) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है तथा प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत रोजगार सम्बन्धी कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पैरा सं0–99 (3) उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है।

पैरा सं0–102 (1) सभी रोजगार केन्द्रों का कौशल पहचान केन्द्र तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की प्रकिया जारी है।

14. **पैरा सं0– 100, 141 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)**

पैरा सं0–100 (1) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एकल महिला, विधवा एवं परित्यक्त नारियों को रोजगार दिलाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के उन विद्यार्थियों को, जिन की पारिवारिक आय ₹3 लाख वार्षिक से कम है, को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण एवं निशुल्क कोचिंग के लिये मेधा प्रोत्साहन योजना में प्रावधान कर दिया गया है। (3) दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण अवसरों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयात कर दी गई है।

पैरा सं0–141 (1) नई व्यापक सशक्त महिला योजना एवं सशक्त स्त्री केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है।

15. **पैरा सं0– 105 (परिवहन)**

पैरा सं0–105 (3) चुने हुए नम्बरों के लिए एक निश्चित राशि तय कर e-Auction/Bidding की सुविधा प्रदान की जा रही है।

16. **पैरा सं0– 115 (शहरी विकास/स्वास्थ्य)**

पैरा सं0–115 (1,2,3,4) अधोसंरचना के निर्माण व सेवाओं हेतु Public Private Partnership (PPP) आधारित कार्यों के लिये आवश्यक कदम उठाए गए है।

17. **पैरा सं0– 117 (आबकारी एवं कराधान)**

पैरा सं0–117 (1) शराब की बिक्री हेतु पुरानी थोक बिक्री व्यवस्था बहाल कर दी गई है।

18. **पैरा सं0– 119, 120, 122, 125 (शिक्षा)**

पैरा सं0–119 (1) 2137 सरकारी उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में Multimedia Teaching Aids दो चरणों में उपयोग किये जाऐंगे। (2) स्कूलों में पढ़ाने/बोलचाल के कौशल को बढ़ाने के लिए 36 भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

पैरा सं0–120 नई योजना मुख्यमन्त्री आदर्श विद्या केन्द्र के तहत प्रथम चरण में 10 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

पैरा सं0–122 अटल वर्दी योजना के अन्तर्गत पहली, तीसरी, छठी तथा नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक स्कूल बैग का प्रावधान किया जा रहा है।

पैरा सं0–125 नई मेधा प्रोत्साहन योजना आरम्भ कर दी गई है।

19. **पैरा सं0– 128 (भाषा, कला एवं संस्कृति)**

पैरा सं0–128 (6) वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कवियों/लेखकों/ साहित्यकारों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है।

20. **पैरा सं0– 154 (कार्मिक/ वित्त)**

पैरा सं0–154 (10) सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पदों को भरने की प्रकिया जारी है।

प्रकियाधीन बजट आश्वासन

1. **पैरा सं0–14(समस्त विभाग/ अर्थ एवं संख्या)**

पैरा सं0–14 (1) राज्य के सभी अधिनियमों, नियमों तथा योजनाओं को उनके प्रभावों, प्रासंगिकता तथा सरलीकरण की कसौटी पर समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी विभाग इस संदर्भ में जो भी संभव हो, अपने अपने मा0 मन्त्री के माध्यम ये माननीय मुख्यमन्त्री को अवगत करवाऐंगे तथा सूचना योजना विभाग को प्रेषित करेंगे।

(2) ऑन लाईन डाटा एकत्रित करने की प्रणाली विकसित करनाः– इस मद पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस प्रणाली को विकसित करने के लिये प्रशासनिक स्तर पर बैठक करने से पूर्व इस संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी सभी प्रशासनिक सचिवों को भेज दी जाए।

2. **पैरा सं0–110 (लोक निर्माण)**

पैरा सं0–110 (4) सड़कों के रख–रखाव के लिए एक अलग निधि बनाने का प्रस्तावः– इस संदर्भ में सूचित किया गया कि अभी तक योजना का प्रारुप तैयार किया जाना है।

3. **पैरा सं0–17 (राजस्व)**

पैरा सं0–17 नई **"ई–स्टैम्पिंग"** योजना का प्रारम्भः– प्रस्ताव प्रकियाधीन है तथा शीघ्र ही राज्य कैबिनेट के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. **पैरा सं0–18 (सूचना प्रौ0)**

पैरा सं0–18 (2) कागज रहित कार्यालय वातावरण के अन्तर्गत 5 अतिरिक्त विभागों में ई–ऑफिस लागू करनाः– इस संदर्भ में सूचित किया गया कि कोष एवं लेखा विभाग को कागज मुक्त कर दिया गया है तथा 20 नए विभागों को कागज मुक्त करने का कार्य प्रगति पर है।

5. **पैरा सं0–24 (खाद्य एवं आपूर्ति)**

पैरा सं0–24 (1) हिमाचल प्रदेश Hoarding & Prevention Order के अन्तर्गत मूल्य तथा लाभ प्रतिशत निर्धारित करने के प्रावधानों को समाप्त करना।

(2) अन्य नियन्त्रण आदेशों को अभी abeyance में रखा जाना, केवल खाद्यान्नों की कमी होने पर ही इन्हें पुनः लागू करना।

उपरोक्त मदों के संदर्भ में सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इस मद का कार्यान्वयन करना संभव नहीं है।

6. **पैरा सं0–38, 42 (कृषि)**

पैरा सं0–38 JICA फसल विविधिकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों को शामिल करनाः– DPR तैयार करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

पैरा सं0–42 (1) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राज्य में नई मण्डियों का उन्नयन। (3) Himachal Pradesh Agriculture Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation Bill) 2018" का प्रस्ताव।

उपरोक्त मदें अभी प्रकियाधीन है।

7. **पैरा सं0–52 (पशुपालन/ ग्रामीण विकास)**

पैरा सं0–52 (3) गोमूत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत निवेश अनुदानः– यह मद प्रकियाधीन है तथा सूचित किया कि निवेश अनुदान हेतु मामला उद्योग विभाग को भेजा जाएगा।

पैरा सं0–53 (4) गाँव की सार्वजनिक चरागाहों की पहचान तथा उनका प्रबन्धनः– सभी उपायुक्तों को इस संदर्भ में लिखा गया है।

(5) गौसदन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि ₹1 पट्टे पर देनाः– यह मद प्रकियाधीन है।

(6) बेसहारा पशुओं को महिला मण्डलों द्वारा देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा समुचित उपदान का प्रावधानः– यह मद ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है तथा प्रकियाधीन है।

(7) प्रत्येक विकास खण्ड की एक सर्वोत्तम पंचायत, जहां शत–प्रतिशत पशु पंजीकृत हैं व उन पर टैगिंग कायम है, तथा जहां पशु मालिक, पशुओं को नहीं त्यागते हैं, को विकास कार्यों के लिए ₹10 लाख का पुरस्कार प्रदान करनाः– यह मद ग्रामीण विकास तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है तथा प्रकियाधीन है।

8. **पैरा सं0–55 (ग्रामीण विकास)**

पैरा सं0–55 (1) ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धनः– यह मद प्रकियाधीन है।

(3) कचरा एकत्रीकरण हेतु पिकअप वाहन खरीद पर उपदानः– यह मद व्यवहारिक नहीं है तथा इसका कार्यान्वयन संभव नहीं है।

9. **पैरा सं0–80 (उद्योग)**

पैरा सं0–80 (2) वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम में अनुमतियाँ

(1) प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने तथा अनुमतियों की नियमित परिवीक्षा करनाः– यह मद प्रकियाधीन है।

(2) भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 5 हैक्टेयर तक की शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation) का मामलाः– बैठक में इस मद को Drop करने का निर्णय लिया गया।

10. **पैरा सं0–94 (पर्यटन)**

पैरा सं0–94 (3) तत्तापानी में जल–क्रीड़ा, स्थान के सौन्दर्यकरण, घाट बनाने के कार्य एवं गर्म पानी के स्त्रोतों को विकसित करनाः– यह प्रकियाधीन है।

11. **पैरा सं0–146 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)**

पैरा सं0–146 प्रदेश के कुछ स्थानों पर **'वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र'** का प्रावधानः– इस मद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

12. **पैरा सं0–104, 106 (परिवहन)**

पैरा सं0–104 (3) हिमाचल पथ परिवहन निगम, बसों में "स्वाईप/टैप मशीन" का प्रावधान। (4) पास धारकों/छूट प्राप्त श्रेणियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा। (5) सभी बस अड्डों पर तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड का प्रावधान।

पैरा सं0–106 (1) सड़क परिवहन में रोजगार के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 नए बस परमिट।

उपरोक्त सभी मदें प्रकियाधीन है तथा निविदाऐं आमन्त्रित की गई है।

13. **पैरा सं0–116, 117 (आबकारी एवं कराधान)**

पैरा सं0–116 डीलरों के हित के लिए "The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill" 2018 को ला कर डीलरों के हित की सुविधाः– यह मद प्रकियाधीन है।

पैरा सं0–117 (2) आबकारी कार्यों पर प्रभावी निगरानी के लिए उत्पादन से खपत तक पूरी श्रृंखला हेतु एक कम्प्यूट्रीकृत व्यवस्था का प्रावधानः– इस सम्बन्ध में निविदाऐं आमन्त्रित की जा चुकी है।

14. **पैरा सं0–119 (शिक्षा)**

पैरा सं0–119 (5) SCERT की सहायता से योग पाठ्यक्रम तैयार करनाः– पाठयक्रम तैयार करके शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया है।

(7) शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा पदभार सम्भालने हेतु एक ठोस तथा पारदर्शी स्थानान्तरण नीति का प्रावधानः– यह मद प्रकियाधीन है।

15. **पैरा सं0–128 (भाषा, कला एवं संस्कृति)**

पैरा सं0–128 (5) जिला मुख्यालयों में इन्डोर सभागृहों जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, का निर्माणः– यह मद प्रकियाधीन है।

16. **पैरा सं0–137 (स्वास्थ्य)**

पैरा सं0–137 (3) प्रदेश के दूर–दराज के 50 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों को टेलीमैडीसन के अन्तर्गत लानाः– यह मद प्रकियाधीन है तथा शीघ्र ही निविदाऐं आमन्त्रित की जाएगी।

17. **पैरा सं0–140 (आयुर्वेद)**

पैरा सं0–140 (1) आयुर्वैदिक औषधीय जड़ी–बूटियों के विप्णन के लिए किसानों का देश की प्रमुख फार्मेसियों के मध्य सम्पर्क स्थापित करवानाः– यह मद प्रकियाधीन है तथा सूचना अपेक्षित है।

18. **पैरा सं0–151 (गृह)**

पैरा सं0–151 (1) अपराधियों के डाटा हेतु स्वचलित Finger Print Identification प्रणाली व लाइव स्कैनर का क्रयः– यह मद प्रकियाधीन है।

19. **पैरा सं0–152 (कोष एवं लेखा)**

पैरा सं0–152 (1) सरकारी कार्यालयों के बिजली, पानी और टैलीफोन के बिलों के सीधे भुगतान को ई–बिल प्रणाली से जोड़ना। (2) ई–सेलरी में कर्मचारियों का आधार नम्बर दर्ज करना।

उपरोक्त दानों मदें प्रकियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रशासनिक सचिवों से यह आग्रह किया गया कि प्रकियाधीन बजट आश्वासनों को कार्यान्वित करने के हर सम्भव प्रयास करें। यदि किसी बजट आश्वासन के कार्यान्वयन में कोई समस्या आ रही हो अथवा चालू वित्त वर्ष में कार्यान्वयन सम्भव नहीं हो पा रहा है तो सम्बन्धित मा0 मन्त्री के माध्यम से मामला माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित किया जाए। यह भी निर्देश दिये कि समस्त विभागीय सचिव कार्यान्वित बजट आश्वासनों से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को अवगत करवाऐं और नवीनत्तम प्रगति योजना विभाग को उपलब्ध करवाऐं।

बैठक अध्यक्ष एवं समस्त उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

****

अनुबन्ध–क

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूचि

सर्व श्री/ श्री मति/ कु0		
1	मनीषा नन्दा	अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) एवं वित्तायुक्त (राजस्व)
2	रामसुभग सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन, वन)
3	निशा सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मुद्रण एवं लेखन)
4	संजय गुप्ता	अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन, आयुर्वेद, सहकारिता)
5	मनोज कुमार	अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह, उद्योग, तकनीकी शिक्षा)
6	आर0डी0 धीमान	अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य, उद्यान, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, प्रशिक्षण)
7	प्रबोध सक्सेना	प्रधान सचिव (विद्युत,शहरी विकास,गैर पराम्परागत उर्जा स्रोत, नगर एवं ग्राम योजना)
8	जगदीश चन्द्र शर्मा	प्रधान सचिव (आबकारी कराधान, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी)
9	ओंकार चन्द शर्मा	प्रधान सचिव (जनजातीय विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, शिक्षा)
10	दिवेश कुमार	सचिव (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य)
11	डॉ0 आर0 एन0 बत्ता	सचिव (ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, परियोजना अनुश्रवण, सा0/ सचि0 प्रशासन, सैनिक कल्याण)
12	दिनेश मल्होत्रा	सचिव (युवा सेवा एवं खेल)
13	अजय कुमार	प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन
14	डॉ0 अमरजीत कु0 शर्मा	निदेशक, उच्च शिक्षा
15	रोहित जमवाल	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
16	के0 के0 शर्मा	निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति
17	राजेश शर्मा	उप–सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)
18	बलबीर सिंह	उप–सचिव (प्रशासनिक सुधार)
योजना विभाग		
1	अनिल कुमार खाची	अतिरिक्त मुख्य सचिव
2	डॉ0 बसु सूद	सलाहकार
3	रविन्द्र कुमार	उप निदेशक
4	दिनेश कुमार	स0अनुसन्धान अधिकारी